

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

SHIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14333/2025

1. Rakesh S/o Shri Shyamlal, Aged About 20 Years, R/o Kankara Police Station Kishangarhbas District Khairthal-Tijara. (At Present In Sub Jail, Kishangarhbas).
2. Sachin S/o Shri Dayaram, R/o Kankara Police Station Kishangarhbas District Khairthal-Tijara. (At Present In Sub Jail, Kishangarhbas).

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16885/2025

Patram S/o Gorisahaye, Aged About 40 Years, R/o Chechiya Ki Dhani Hamirpur, Police Station Harsora, District Kotputli-Behror. (Currently In Sub Jail, Kishangarhbas).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)

:

Mr. Harendra Singh

For Respondent(s)

:

Mr. Manvendra Singh

Mr. Mahendra Singh

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

12/02/2026

उक्त दोनों प्रार्थनापत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थीगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना किशनगढ़बास, जिला-खैरथल तिजारा में दर्ज प्रथम

सूचना रिपोर्ट संख्या 228/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 303(2), 117(2), 110 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु उक्त प्रार्थनापत्र पेश किये गये हैं।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण होकर आरोपपत्र धारा 115(2), 126(2), 303(2), 117(2), 110 भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में प्रस्तुत कर दिया गया है। उनका तर्क है कि आहत मनीष को जो चोटें कारित हुई हैं, उनमें दो चोटें पैर की अस्थिभंग की है। आहत को मार्मिक अंग पर कोई चोट कारित नहीं हुई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त राकेश पर फायर किये जाने का कोई आक्षेप नहीं है तथा उसके आधिपत्य से केवल सरिये की बरामदगी होना बताया गया है। प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्तगण से तथाकथित किसी प्रकार के लूट के सामान की बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण में प्रार्थीगण का परिवादी देशराज तथा आहत मनीष के साथ समझौता हो चुका है। प्रार्थीगण राकेश व सचिन दिनांक 26.09.2025 से तथा अभियुक्त पतराम दिनांक 30.09.2025 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्तगण ने अन्य के साथ मिलकर आहत मनीष के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसके दोनों पैरों की अस्थियां भंग की है। साथ ही प्रार्थी-अभियुक्त राकेश ने आहत के सिर पर पिस्तौल तानी है और सहअभियुक्त सचिन ने हवाई फायर किया है। प्रार्थीगण से लाठियां-सरिये आदि बरामद हुए हैं। प्रकरण राजीनामा योग्य नहीं है। प्रार्थीगण राकेश व सचिन के विरुद्ध पूर्व के पांच तथा प्रार्थी पतराम के विरुद्ध पूर्व के 09 अपराधिक प्रकरण संस्थित है। प्रार्थीगण के विरुद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

परिवादी और आहत के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रकरण में परिवादी और आहत का प्रार्थी-अभियुक्तगण के साथ समझौता हो चुका है और प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण की घटना में आहत मनीष के मार्मिक अंग पर कोई चोट कारित नहीं हुई है, बल्कि उसको पैर पर अस्थिभंग की चोटें कारित हुई हैं। प्रार्थी-अभियुक्तगण से तथाकथित किसी प्रकार के लूट के सामान की कोई बरामदगी नहीं हुई है। आहत व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थीगण का आहत व परिवादी के साथ समझौता होना और प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिये जाने पर आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है। प्रार्थीगण राकेश व सचिन दिनांक 26.09.2025 से तथा अभियुक्त पतराम दिनांक 30.09.2025 से अभिरक्षा में हैं। **प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है** तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी-अभियुक्तगण जमानत पर मुक्त होने के पश्चात् भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

अभियुक्तगण द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J